



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563. फैक्स नं. : 2231562. वेबसाइट : <https://bsea.bihar.gov.in>, ई-मेल : bseapatna@gmail.com

पटना / दिनांक : 19/09/2024

अधिसूचना

संख्या-नि. प्रा./04-01-01/2024 1609 चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न अनुलग्नक-1 में अंकित 05 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा- 4 एवं बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा कंडिका-4 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक-1 में अंकित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 24.10.2024 (गुरुवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या 906 दिनांक 03.06.2024 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि 31.05.2024 निर्धारित की गई है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 26.06.2024 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जाना था, परंतु निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना प्राधिकार के वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं किये जाने के कारण इन प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम निर्गत नहीं किया गया था। किन्तु अब संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अंतिम प्रकाशन की सूचना की प्रविष्टि कर दी गयी है।

4. उक्त के आलोक में अनुलग्नक- 1 में अंकित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई. 1 में सूचना का प्रकाशन	23.09.2024 (सोमवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	08.10.2024 (मंगलवार) एवं 09.10.2024 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	14.10.2024 (सोमवार) एवं 15.10.2024 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि	17.10.2024 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	24.10.2024 (गुरुवार) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	24.10.2024 (गुरुवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	26.10.2024 (शनिवार)

5. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट—<http://bsea.bihar.gov.in> पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्ट नहीं की जायेगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा:-

क्र०	सूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने का समय	प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने वाली सूचना
i.	सूचना के प्रकाशन की तिथि के तुरंत पश्चात्	ई०-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है।
ii.	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात्	निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या, को प्रविष्ट करना है।
iii.	मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में	मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा), को प्रविष्ट करना है।
iv.	निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक	निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र-18) को अपलोड करना एवं तदोपरांत उसे प्राधिकार के ई-मेल bseapatna@gmail.com पर भेजना है।
v.	मतगणना के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर	पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु अद्यतनीकरण के पश्चात् की अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है) को प्राधिकार के पत्रांक-469 दिनांक 25.02.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्कैन कर प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करना है।

6. प्रपत्र ई०-1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाइट पर निर्धारित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायेगी।

7. बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा- 14 में किये गए संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा-

- (I). निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव आदि पद सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
- (II). सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) पद, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) पद और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) पद आरक्षित किये जायेंगे।
- (III). उपर्युक्त आरक्षित पदों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल पदों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

- (IV). अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।
- (V). अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, पद उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे।
- (VI). अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष पद बच जाते हैं, उन पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।
- (VII). जिन समितियों में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या 12 (बारह) से कम होगी, उनमें निबंधक, सहयोग समितियाँ के पत्रांक 4992 दिनांक 01.11.2013 के आलोक में पदों की संख्या 12 मानकर एवं तदनुसार ऊपर वर्णित आरक्षण के प्रावधानों को लागू कर निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा।

8. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए अनुलग्नक-2 पर संलग्न **प्रपत्र- ई० 1** में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना **दिनांक 23.09.2024 (सोमवार)** को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

9. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को **प्रपत्र- ई० 3** (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका, 01 जुलाई 2019 तक संशोधित, में उल्लिखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को **प्रपत्र- ई० 18** में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को **ई-मेल (bseapatna@gmail.com)** द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही **प्राधिकार के वेबसाइट पर भी ई-18 अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए।**

10. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन संपन्न हुआ है) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड कराएँगे।

11. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् **दिनांक 26.10.2024** तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 122-129 पर देखे जा सकते हैं।

अनुलग्नक: यथोक्त।

(पुरुषोत्तम पासवान)

सचिव।

ज्ञापांक : 1609

पटना/ दिनांक : 19/09/2024

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सचिव

ज्ञापांक : 1609

पटना/ दिनांक 19/09/2024

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.)/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/ संबंधित उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स. स.)/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.) से अनुरोध है कि इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

3. संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.) को निदेशित किया जाता है कि प्राधिकार के पत्रांक-8933 दिनांक-15.06.2012 द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन संचालन हेतु निर्गत आवश्यक अनुदेश का अनुसरण आवश्यक संशोधनों के साथ (Mutatis Mutandis) करेंगे। यह अनुदेश प्राधिकार के वेबसाईट <http://bsea.bihar.gov.in> पर उपलब्ध है। विहित प्रपत्रों की प्रति सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका में उपलब्ध है।

ज्ञापांक : 1609

पटना/ दिनांक 19/09/2024

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, कम्फेड, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., मुजफ्फरपुर डेयरी, पोस्ट-कलवारी, मुजफ्फरपुर-843108/ प्रबंध निदेशक, वैशाल पाटलीपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, फुलवारीशरीफ, पटना- 801505 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक से अनुरोध है कि वे दुग्ध समिति की उपविधियाँ **दिनांक 21.09.2024** तक निश्चित रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स.स.) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा उपविधियों के आधार पर जिन-जिन पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है, उसका विवरण भी अधिसूचना में निहित निदेशों के अनुसार आरक्षित पदों की स्थिति सहित निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित रूप में उपलब्ध करा देंगे। साथ ही इस कार्यक्रम की सूचना अपने स्तर से भी संबंधित समितियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

ज्ञापांक : 1609

पटना/ दिनांक 19/09/2024

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

ज्ञापांक : 1609

पटना/ दिनांक 19/09/2024

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक : 1609

पटना/ दिनांक 19/09/2024

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा- 2 (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

निर्वाचन हेतु प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों की सूची :-

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड	समिति का नाम	संबद्ध संघ
01	02	03	04	05
01	पटना	दुल्हिन बाजार	लाला भदसारा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लि.	वैशाल- पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. फुलवारीशरीफ
02	पटना	दुल्हिन बाजार	आलमपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लि.	वैशाल- पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. फुलवारीशरीफ
03	पटना	दुल्हिन बाजार	कासिमचक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लि.	वैशाल- पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. फुलवारीशरीफ
04	सीतामढ़ी	बथनाहा	डीहठी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लि.	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.
05	सीतामढ़ी	बथनाहा	शीतलपट्टी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लि.	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.